सम्मन वास्ते कराखाद उमूर तनकीह तलब

आर्डर ५ कायदा १ व ५

बअदालत ———————— जिला ———————— मुद्दई

न० मुकदमा ———————— साकिन ————————

बनाम

———————— साकिन ———————— मुद्दालय

हरगाह ————————ने आपके नाम से एक नालिश बाबत ———————— के

दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह———— सन ——ई० बवक्त १० बजे दिन के असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमा हालात से वाकई वाकिफकार किया गया हो और कुल अहम उमूरात मुताबिक का जवाब दे सके या जिसके साथ और कोई शख्स हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा करे और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश कर जिन पर आप बताइद अपनी जवाबदेही के इस्तदंलाल करना चाहते हो बयान तहरीरी दिनांक———————— को दाखिल करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत से आज बतारीख————माह————सन ——ई० को जारी किया जाय

इत्तिला

(१) अगर आपको यह अन्देशा है कि आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो आप अदालत हाजा से सम्मन मुराद जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हों वह जबरन हाजिर कराया जाय और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आप इस्तेहफाक रखते हैं वह उस शर्त कराई जाय बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके इस अमकारी दरख्वास्त गुजारने।

(२) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं तो आपको लाजिम है रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें ताकि कारवाई इजराय डिग्री को जो आपकी जान व माल या दोनों पर करनी पड़े।